न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अरूण कुमार पुरोहित, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07 / 2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
हीरकनराम पुत्र हुकमाराम जाति बिश्नोई निवासी बारासण हाल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर		1. राणा भवानीसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह 3. अनुक्रमसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 4. सरपंच, ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 434 दिनांक 05.08.2001 जो अप्रार्थी सं. 1से3 के नाम अप्रार्थी सं. 4 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश बिश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 26.07.2023

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 4 ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 1से3 के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम गुड़ामालानी मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 434 दिनांक 05.08.2001 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता,

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा पट्टा सं. 434 राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत अप्रार्थीगण सं. 1से3 को जारी किया जाना लिखा हैं, उक्त नियम के अनुसार जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा जारी किया जाता है उस व्यक्ति का उस मकान/भूखण्ड पर बहुत पुराना कब्जा होना चाहिए, किन्तु वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 1से3 का कभी आधिपत्य नहीं रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1663 गैर मुमकीन गोचर थी जिसका किस्म परिवर्तन हॉस्पिटल एवं पंचायत विकास हेतु आबादी के लिये किया गया था किन्तु गलत तरीके से अप्रार्थी सं. 1से3 की बताकर आलौच्य पट्टा जारी करने मं विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की गई हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थीगण सं. 1से3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा 6 बीघा का आवासीय प्रयोजन हेतु जारी किया गया हैं जबकि पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत 2700 वर्गफुट से अधिक आवासीय पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थी सं. 1से3 पूर्व जागीरदार है तथा अप्रार्थी सं. 1 पूर्व में जिला प्रमुख रह चुका हैं तथा उनके चहेते ही ग्राम पंचायत के सरपंच बनते है इस कारण अप्रार्थी सं. 1से3 ने करीबन एक लाख वर्गफुट से भी अधिक भूमि के पट्टे बार–बार एक ही व्यक्ति के नाम जारी करवाकर उक्त भूमि का बेचान किया जाता हैं। अप्रार्थी सं. 1से3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है वह गोचर भूमि हैं तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की भूमि को अन्य उपयोग में लेने की वर्जना दी हैं। अप्रार्थी सं. 4 द्वारा अप्रार्थी सं. 1से3 के पक्ष में आलौच्य पट्टा जारी करने मे राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज नियम 1996 में आबादी भूमि के पट्टे ज़ारी करने के संबंध में विद्यमान नियमों की कोई पालना नहीं की गई हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1से3 के नाम से दिनांक 05.08.2001 को जारी किया गया पट्टा सं. 434 पूर्णतया अवैध व शुन्य होने से निरस्त फरमाया जावे तथा दोनो खसरों का कब्जा एवं पट्टे वाली भूमि का कब्जा पंचायत को सुपुर्द किया जावे।

3. अप्रार्थी सं. 1से3 ने निगरानी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा आलौच्य पट्टे वाली भूमि का पट्टा सं. 434 दिनांक 05.08.2001 अप्रार्थी सं. 1से3 के नाम से जारी किया गया है, तत्समय उक्त सम्पूर्ण भूमि पर अप्रार्थी सं. 1से3 का स्वामित्व एवं आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के पिता प्रतापसिंह गुड़ामालानी ठिकाणे के जागीरदार थे और सन् 1956 तक जब उनकी जागीर का पुर्नग्रहण हुआ तब तक वे अपनी जागीर के पच्चास गांवों की आबादी, कृषिं व अकृषि सभी प्रकार की भूमियों के मालिक थे और उन्हे उन भूमियों के संबंध में अपनी इच्छानुसार पट्टा जारी करवाने, किसी भी भूखण्ड को निजी उपयोग में लेने एवं भूमि की किस्म परिवर्तन करने आदि के अधिकारी थे। राणा प्रतापसिंह के बाद अप्रार्थी सं. 1से3 का उनके स्वामित्व की भूमि पर बाड़ा बना हुआ था जिसमें उनके घोड़े, गाय, बैल, उंट आदि पशुओं को रखते थे और उन पशुओं की देखभाल करने वाले नौकरों के झोंपे उस स्थान पर थे। वर्ष 1954—55 में जो बन्दोबस्त की प्रथम पैमाईश की गई, जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के पैतृक सम्पत्ति का उक्त बाड़ा गुड़ामालानी के आबादी भूमि के मध्य स्थित था उसे भूल से गैर मुमकीन गोचन दर्ज किया गया। इस भूमि के साथ ही ग्राम गुड़ामालानी में अन्य खसरे में जहां पुरानी आबादी बसी हुई थी ऐसे खसरे भी भूलवश गैर मुमकीन गोचर दर्ज किये गये। इस भूल को सुधारने के लिये ग्राम सभी की मांग पर जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति लेकर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

खसरा नम्बर 1349, 1633, 1716, 1673, 1675 व 1663 की भूमि को आबादी में परिवर्तित की गई। इस आदेश के पश्चात खसरा नम्बर 1663 की भूमि गैर मुमकीन गोचर नहीं रही।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1से3 ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 27.05.1993 को ग्राम गुड़ामालानी में एक शिविर आयोजित किया गया था उसमें किसी की मौखिक शिकायत पर ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को यह नोटिस दिया गया कि ख़सरा नम्बर 1663 पर आपका ज़ो कब्जा हैं वह दो दिन में हटाया ज़ावे। चुंकि उक्त भूमि अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि भी जिससे कब्ज़ा हटाने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही था इसलिये ग्राम पंचायत की कार्यवाही को रोकने के लिये सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के न्यायालय में प्रतिवादी ज़िला कलेक्टर बाड़मेर, विकास अधिकारी पंचायत समिति धोरीमन्ना एवं प्रशासक ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के विरूद्ध दिवानी वाद दिनांक 03.06.1993 को प्रस्तुत किया जो बाद में अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के न्यायालय में प्रकरण सं. 15/1996 दर्ज होकर दिनांक 23.03.1998 को वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए निर्णित किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा अपने आदेश में वादग्रस्त खसरा नम्बर 1663 की उक्त 6 बीघा भूमि जिसे नक्शे में ए.बी.सी.डी. के मध्य दर्शाया गया था तथा वादीगण के स्वामित्व की घोषित की गई। इस निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1व2 जिला कलक्टर बाड़मेर एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर द्वारा अपील भी की गई जो अस्वीकार हुई हैं। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के स्वामित्व की घोषित करने पर ग्राम पंचायत के लिये बाध्यकारी होने से उन्हे उक्त भूखण्ड अप्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य का स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था जिससे ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा सं. 434 दिनांक 05.08.2001 अप्रार्थी सं. 1से3 के हक में 6 बीघा का जारी किया गया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में संशोधन दिनांक 02.04.2007 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया तथा इससे पूर्व ग्राम पंचायत को पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

जारी करने की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज़ नियम 1996 के सभी नियमों की पालना की गई हैं और इस संबंध में पत्रावली सं. 552/1999 कायम करके उसका निर्णय दिनांक 21.12.1999 को किया गया हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1से3 के पक्ष में जारी किया गया आलौच्य पट्टा विलेख पूर्णतया विधिसम्मत हैं तथा प्रार्थी का आवेदन पत्र निराधार एवं द्वेषपूर्ण होने से व्यय सहित खारिज फरमाया जावे और इसका खर्चा व हर्जा प्रार्थी से दिलाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। उभय पक्ष की ओर से प्रकट तथ्यों से पाया जाता हैं कि ग्राम गुड़ामालानी में आबादी भूमि पर अपने पुराने कब्जे की भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी सं. 1से3 की ओर से एक प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लेकर एवं गवाहान के बयान एवं आपत्ति नोटिस जारी करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख दिनांक 05.08.2001 को जारी किया गया हैं। प्रार्थी के द्वारा इसके सम्बन्ध में मुख्य आक्षेप हैं कि आलौच्य पट्टा 6 बीघा भूमि का जारी किया गया हैं जबकि नियम 157(1) के तहत 2700 वर्गफुट से अधिक भूखण्ड का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि भूखण्ड की अधिकतम सीमा का निर्धारण अधिसूचना संख्या एफ.4(7)अमे./रूल्स/लीगल/पी.आर./2012/135 दिनांक 11.02.2013 द्वारा नियम 157(1) को प्रतिस्थापित किया गया हैं। इसके अलावा जहां तक विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन गोचर होने से अप्रार्थीगण का हक स्वामित्व नहीं होने का प्रश्न हैं, इस बाबत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपर सिविल न्यायाधीश बाड़मेर द्वारा दिवानी प्रकरण सं. 15/1996 में दिनांक 23.03.1998 को पारित निर्णय डिक्री प्रस्तुत की गई हैं। इस निर्णय एवं डिक्री में विवादित भूमि पर कब्जा एवं स्वामित्व अप्रार्थीगण का घोषित किया गया हैं, ऐसे में प्रार्थी का यह आक्षेप भी तथ्यों से परे होना प्रतीत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

होता हैं। इसके उपरांत भी हस्तगत निगरानी प्रार्थना–पत्र एक सरसरी कार्यवाही हैं तथा इसमें पक्षकारों के हक–स्वामित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत गुड़ामालानी द्वारा जारी आलौच्य पट्टा विलेख को वैधानिकता, औचित्यता एवं सत्यता की कसौटी पर ग्राम पंचायत के अभिलेख का परीक्षण उपरांत निश्चय किया जाना हैं। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन एवं उभय पक्ष की ओर प्रकट तथ्यों पर विवेचन से आलौच्य पट्टा सं. 434 दिनांक 05.08.2001 में प्रार्थी द्वारा प्रकट आक्षेप सम्बन्धी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं पाई गई हैं। ऐसे में प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित सत्यता, अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर उल्लेखित आधारों पर स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर